page(1)

R.M.M. Law-College
Saharsa.
Amrendra Kumar Trivedi
Part-Time-Lecturer.

Sub Evidence

न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्य साबित किया आवश्यक नहीं है। जिसे न्यायालय अवेक्षा करेगा।

न्यायालय के समक्ष जितने सुसंगत विवाद्यक तथ्य होते हैं मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य से दुहराए जा सकते हैं। जिस तथ्यों के बारे में पक्षकारों की स्वीकृति हो जाती है। और जिन तथ्यों की न्यायिक कर सकता है। उनको साबित करने की आवश्यकता नहीं रह जाती यह अध्याय इन्हीं दो प्रकार के तथ्यों से सम्बन्धित है।

यह धारा केवल इतना कहती है कि किसी ऐसे तथ्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती जिसको न्यायालय न्यायिक अवेक्षा कर सकता है। अगली धारा उन तथ्यों का वर्णन करती है जिनका न्यायिक अवेक्षा न्यायालय की जा सकती है।

<u>न्यायिक अवेक्षा</u> - कुछ तथ्य ऐसे प्रसिद्ध सुप्रतिष्ठित (well-established) होते हैं, उनके अस्तित्व को साबित करना जरूरी नहीं रह जाता। न्यायालय उसके अस्तित्व का स्वयं ही संज्ञान (cognizance) ले लेता है। इसे न्यायिक अवेक्षा कहते हैं।

Scanned with CamScanner

धारा 57 में वर्णित किसी तथ्य का अस्तित्व प्रश्नगत हो जाता है तो जो पक्षकार उसके अस्तित्व या अनस्तित्व को प्रतिपादन करता है उसको उसके विषय में साक्ष्य देना आवश्यक नहीं। न्यायालय स्वयं सम्बन्धित सामग्री का सहारा लेता हुआ यदि उसका निजी ज्ञान उसका सहायक नहीं हो पाता, उक्त प्रश्न पर निर्णय लेगा और यदि वह ऐसा करना उचित समझे तो वह पक्षकारों को सहायता करने के लिये कह सकता है/ किन्तु इस प्रकार की बातों में वह साक्ष्य नियमों से आबद्ध नहीं होगा। वह ऐसे स्रोत का सहारा ले सकता है जिससे उसकी जानकारी प्राप्त हो सके। वह किसी ऐसे ग्रन्थ का अवलोकन कर सकता है जो उसे सुसंगत में जानकारी दे सके। या इस पर ध्यान कर सकता है।

न्यायिक अवेक्षा न्यायालय की करेगी

न्यायालय भारत राज्य में प्रवृत्त समस्त विधियाँ,

(2) यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेन्ट द्वारा पारित किये जाने वाले ऐक्ट जो प्राइवेट ऐक्ट स्थानीय और पर्सनल ऐक्ट जिनके बारे में यूनाइटेड किंगडम के की पार्लियामेन्ट ने निर्दिष्ट किया है कि उन्हे न्यायिक अपेक्षा की जाय।

भारतीय नौसेना, वायुसेना और सेना के लिये नियमावली।

Scanned with CamScanner

प्रश्न. 3

मानसिक या शारीरिक संवेदना और परिस्थितिजन्य साक्ष्य- सिद्धांत कहती है कि किसी व्यक्ति का आशय क्या था यदि वह साक्षी के रूप में साक्ष्य देने के योग्य हो तो अपने आशय के विषय में अभिसाक्ष्य दे सकता है और उसका कथन उसके आशय का प्रत्यक्ष प्रमाण होगा। अर्थात क ने ख पर ख का अपराधिक मामला चलाया जाता है इस आशय का मतलब निकलता है, उसका आशय ख को चोट पहुँचाने का था, किन्तु इस प्रकार के साक्ष्य का अधिक महत्व नहीं होता, आसपास की परिस्थितियाँ ही इस बात की गवाही देता है कि अपराधी का उक्त अपराध में आशय क्या था।